Jaykay Enterprises Limited



Date: April 11, 2024

To, Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai-400 001

Scrip Code: 500306 ISIN: INE903A01025

Subject: Advertisement published in newspapers in respect to the Right issue of equity shares by Jaykay Enterprises Limited ("Company")

Dear Sir/Madam,

In continuation to the Public Announcement made on January 26, 2024 and in compliance with the sub clause 2.3 of Annexure A of the SEBI Circular bearing no. SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/009 dated February 06, 2024 ("SEBI Circular"), please find attached herewith copies of the newspaper advertisement with regard to filing of Resubmitted Draft Letter of Offer with SEBI on April 09, 2024 by the Company, published today i.e. on April 11, 2024, in the following newspapers:

- Business Standard-English-All Editions,
- Business Standard-Hindi-All Editions and
- Rashtriya Sahara-Kanpur Edition

This disclosure will also be hosted on the Company's website viz www.jaykayenterprises.com

Thanking you

Yours faithfully, For Jaykay Enterprises Limited

Yogesh Sharma Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: A29286



Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur- 208001 (INDIA)

Phones: +91 512 2371478 - 81

E-mail: cs@jaykayenterprises.com, Web: www.jaykayenterprises.com

CIN: L55101UP1961PLC001187

With oil on the boil, Vistara's loss may not be IndiGo's gain

New Delhi, 10 Apri

hares of low-cost airline IndiGo hit record high on the bourses soon after reports of pilot crisis at Vistara emerged. The development also saw airfares surge by around 25 per cent on select routes. Shares of IndiGo hit a lifetime high of ₹3,68.5 on April 2, 2024, and has gained 2.4 per cent on the bourses in April. While the benchmark S&P BSE Sensex has risen 1.4 per cent during the period.

While Vistara has decided to curtail flight operations, reports suggest that the airline is working towards returning to normalcy. Going ahead, analysts believe the near-term outlook for IndiGo - which is owned and operated by InterGlobe Aviation — remains slightly cautious as the situation is developing. "Air fares have already jumped this month, likely benefitting IndiGo. Any further increase in ticket price may see capping action from the regulatory watchdog, cautioned Gaurang Shah, senior vice-president, Geojit Financial Services. G Chokkalingam, head of research at Equinomics Research, however, points out that incremental benefits from the crisis at Tata-owned airline, if any, may be outweighed by risks from surging oil prices.

"Besides, IndiGo commands a dominant market share in the industry and the incremental benefits from the Vistara crisis may not be significant for the low-cost carrier." he said. Data by Directorate General of Civil the prices of avi-Aviation (DGCA) showed that IndiGo commanded a market share of 60.1 per cent as of February 2024, while Vistara had a share of 9.9 per cent and Air India 12.8 per cent.

Brent crude oil, meanwhile, is testing the \$91 per barrel-mark at present, having risen 10.4 per cent in a



READY FOR TAKE OFF?



month. So far in calendar year 2024 (CY24), oil prices have jumped nearly 18 per cent.

Industry analysis suggests nearly half of Indian airlines' operating expenses are attributed to jet fuel, thereby making them significantly sensitive to such fluctuations. For IndiGo, aircraft fuel expenses accounted for 41 per cent of total expenses at the end of the December 2023 quarter (Q3FY24). This was higher than 38 per cent at the end of the September quarter. Surging oil prices, according to Shah of Geojit, could



INDIGO NOW WORLD'S 3RD LARGEST AIRLINE BY MCAP

IndiGo, India's largest airline, on Wednesday pipped US-based Southwest Airlines in terms of market capitalisation (mcap) to become the world's thirdmost valuable airline, according to Bloomberg data. IndiGo's share price jumped by 4.73 per cent to ₹3,806 on Wednesday. Its mcap jumped to \$17.605 billion, ahead of Southwest's mcap of \$17.333 billion. The world's top two airlines in terms of market cap are Delta Airlines (\$30.442 billion) and Ryanair (\$26.941 billion). IndiGo is the only Indian carrier among world's top 10 airlines, Bloomberg data said.

ation turbine fuel (ATF). The last time ATF price was hiked was on March 1, 2024 when the Centre jacked up jet fuel prices in the national capital to ₹1.01.396.54 per kilolitre (kl) from ₹1.00.772.17 lakh.

Against this backdrop, analysts suggest investors partially book profit in IndiGo, while new investors may wait for a decent correction to add the stock from a long-term perspective. Analysts at Kotak Institutional Equities believe IndiGo is big enough to chart its own growth trajectory over long-term, unperturbed by externalities.

Q4FY24, up on a yearly basis versus the earlier flat year-onyear (Y-o-Y) guidance. Its low double-digit available seat kilometer (ASK) growth guidance for FY25 is comforting," the brokerage said in a recent report. It has a 'buy' rating on the counter and a target price of ₹4,300. Meanwhile, the airline plans to add at least one new aircraft a week in FY25; add 10 new destinations and raise employee count by 5,500-6,000. It also aims to shift the capacity mix towards international travel. "Despite factoring in higher crude prices and pilot salaries, our estimates are flat to higher, driven by better ASK growth

"IndiGo has guided for an improved pricing outlook for

and yields. We continue to see upside risks to our yields in near-term and capacity/demand growth and profitability over the medium-term," said analysts at UBS. They maintain a 'buy' rating on the stock with a target price of ₹4,000.

Factor in income, deductions when deciding tax regime If you have significant deductible investments, the old regime

could save you more money, but crunch the numbers

BINDISHA SARANG

 $As a \, new \, financial \, year \, begins, expect \,$ your employer to reach out to you regarding choosing a tax regime for 2024-25, if they have not already. This decision is crucial. The choice of tax regime dictates how your income will be taxed. If you don't make the right pick, you might end up losing money.

"The new tax regime has become the default tax regime for individuals after the Finance Act, 2023, from the financial year 2023-24 onwards," says SR Patnaik, partner, Cyril Amarchand Mangaldas.

The new regime

The new tax regime offers lower tax rates but with fewer deductions and exemptions. Here, taxpayers cannot claim various popular deductions under Sections 80C, 80D and 24. However, some deductions, such as standard deduction and family pension (those receiving a family pension can claim a deduction of ₹15,000 or one-third of the pension, whichever is lower) remain available. "This regime simplifies the tax structure and reduces the tax burden for many, especially those who do not have significant MONEY deductions under the old regime," says Suresh

Surana, founder of RSM India. The benefit of a rebate under Section 87A is available to resident individuals opting for the new

The maximum rate of surcharge is 25 per cent for taxpayers opting for the new tax regime, compared to the highest rate of 37 per cent applicable to taxpayers opting for the old

Old regime: Who should stick to it

Under the old regime, taxpayers can avail of various deductions and exemptions, such as those under Section 80C, 80D, house rent

SELECTING THE RIGHT TAX REGIME: A ROAD MAP

Deductions taxpayer is availing	Breakeven point	When is it beneficial to opt for new tax regime (Section 115BAC)?
No deduction being availed		Always
Deduction being availed: Section80C		Always
Deductions being availed: Sections 80C & Section 80D	₹8,25,000	Income in excess of breakeven
Deductions being availed: Section 80C, Section 80D and Section 24 (interest on housing loan)		Never
Source: Taxmann		

allowance, and the like, which can significantly reduce their taxable income. "The old regime follows a system that taxpayers are accustomed to, with well-established rules and procedures. For taxpayers with significant investments and expenses eligible for deductions, the old regime may result in lower tax liabilities compared to the new

> regime," says Amit Bansal, partner, direct tax at Singhania & Co.

New tax regime: Is it for you?

The decision to opt for the new tax regime will depend on the amount of exemptions and deductions an assessee can avail of. "This regime would be

more suitable for young taxpavers as they do not have any historical claims. They will be able to pay taxes at lower slab rates under the new regime," says Patnaik. Individuals with income above ₹7 lakh need to estimate their tax liability under the old regime after claiming deductions, and compare it with their tax liability under the new regime without the available deductions. "They can then go for whichever regime requires them to pay lower tax," says Patnaik.

Factor in breakeven point

The breakeven point is the amount where there is no difference in tax liability between the two regimes. "We calculated the breakeven points for different situations to help taxpayers determine which option is more beneficial. For example, if an individual has no deductions available under the old tax regime, it would always be more beneficial for them to opt for the new tax regime,' says Naveen Wadhwa, vice president, research and advisory, Taxmann.

Likewise, if a taxpayer avails of only Section 80C deduction, it would be beneficial for them to opt for the new tax regime. "If you avail deductions under both sections 80C and 80D, then the breakeven point is ₹8,25,000. It would be beneficial to opt for the new tax regime under Section 115BAC only if you have an income above this breakeven point," says Wadhwa. If you avail of deductions under Section 80C, Section 80D and Section 24 (interest on housing loans), you should never go for the new tax regime.

Switching option

Those with professional or business income can switch between the two regimes only once during their lifetime. Others can switch regimes yearly. "To switch back to the old tax regime, submit Form 10-IEA while filing the tax return," says Archit Gupta, chief executive officer, ClearTax. You can switch between regimes even at the time of filing your

WIPRO LIMITED



Registered Office: Doddakannelli, Sarjapur Road, Bengaluru - 560 035. Tel: +91-80-2844 0011 CIN: L32102KA1945PLC020800 Email: corp-secretarial@wipro.com Website: www.wipro.com

NOTICE

(For the attention of Equity Shareholders of Wipro Limited)

This notice is being issued pursuant to the General circular nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs, to enable sending of notices and form. We request the Members of Wipro Limited ("Company"), who have not yet registered their email address or bank account details, to register the same in respect of equity shares held in electronic form with the concerned Depository through their Depository Participant(s).

In respect of shares held in physical form, Members may register their email id by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent Kfin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032, along with the duly filled in form ISR-1, available at https://www.wipro.com/investors/.

Place: Bengaluru Date: April 10, 2024

Date: 11th April, 2024 Place: Nagpur

For **WIPRO LIMITED** M Sanaulla Khan **Company Secretary**

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR 'UNIJULES LIFE SCIENCES LIMITED' (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) RELEVANT PARTICULARS

	RELEVANT PARTIC	ULARS	
1.	Name of the Corporate Debtor along with PAN / CIN	UNIJULES LIFE SCIENCES LIMITED PAN: AAACU8032D CIN: U52311MH2006PLC158928	
2.	Address of the registered office	B-35, MIDC Industrial Area, Kalmeshwar, Nagpur - 441105 - I	
3.	URL of website	NIL	
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	B-34/35/36, MIDC Industrial Area Kalmeshwar, Nagpur-441105-MH P-338, MIDC Industrial Area, Kalmeshwar, Nagpur-441105-MH J-82, MIDC Industrial Area, Hingna, Nagpur-440028-MH.	
5.	Installed capacity of main products / services	Can be referred from ip.unijules@gmail.com	
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Can be referred from ip.unijules@gmail.com	
7.	Number of employees / workmen	800+	
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	ip.unijules@gmail.com	
9.	Eligibility for Resolution Applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:		
10.	Last date for receipt of Expression of Interest	26th April, 2024	
11.	Date of Issue of Provisional List of Prospective Resolution Applicants		
12.	Last date for submission of objections to Provisional List	09 th May, 2024	
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	-	
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	· ·	
	Last date for submission of resolution plans	08 th June, 2024	
16.	Process e-mail id to submit Expression of Interest	ip.unijules@gmail.com	

CA. Amit C. Podda Resolution Prof Unijules Life Sciences Limiter
Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00449/2017-18/10792
Communication Address: 3rd Floor, Meera Apartments Above Durva Restaurant, Opp. Yeshwant Stadiun Dhantoli, Nagpur-44001 Email: ip.unijules@gmail.co

HIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT IN TERMS OF SEBI CIRCULAR BEARING NO. SEBI/HO/CFD/POD-1/P/CIR/2024/009 DATED FEBRUARY 06. 2024 AND RESUBMISSION OF THE DRAFT LETTER OF OFFER. IT IS FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT APROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



JAYKAY ENTERPRISES LIMITED

Jaykay Enterprises Limited (our "Company" or the "Issuer") was originally incorporated as "J.K. Investment Trust Limited" on May 17, 1943, as a public company under the provisions of the Indian Companies Act, VII of 1913 with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Joint Stock Companies, United Provinces of Agra and Oudh on May 17, 1943. Subsequently, the name of our Company was changed to "J.K. Synthetics Limited", and a fresh certificate of incorporation consequent to the change of name was issued by the Registrar of Companies, Ultar Pradesh, Kanpur on May 9, 1961, under the provisions of the Companies Act, 1956. Further, the name of our Company was changed to "Jaykay Enterprises Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent to the change of name issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, and Uttarakhand on October 15, 2010.

Registered Office: Kamla Tower, Kanpur - 208 001, Uttar Pradesh, India Contact person: Yogesh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer Telephone: +91512 237 1478 | E-mail id: cs@jaykayenterprises.com |

PROMOTER OF OUR COMPANY: MR. ABHISHEK SING

ISSUE OF UP TO 5,84,57,688 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES" FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 25/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 24/- PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UF TO ₹ 14.614.42 LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARE 10 ₹ 14,614.42 LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 EQUITY SH. FOR EVERY 1 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON [●] "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 153 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER. This public announcement is being made in continuation to the Public Announcement dated January 26 2024 and in compliance with the sub-clause 2.3 c

Annexure A of the SEBI Circular bearing no. SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/009 dated February 06, 2024 ("SEBI Circular") and the provisions of regulation 72(2) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirement) Regulations 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations") to state that Jaykay Enterprises Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of equity shares to tits eligible equity shareholders on rights basis and has filed the Draft Letter of Offer dated January 25, 2024 and the re submitted Draft Letter of Offer dated April 09, Pursuant to SEBI Circular read with Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with SEBI and BSE is open for public comments, if any. Th

DLOF is hosted on the website of our company at www.jaykayenterprises.com, website of SEBI at https://www.sebi.gov.in/, website of the Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are listed i.e., BSE at https://www.bseindia.com/ and website of the Lead Manager i.e., Corporate Professionals Capital Private Limited at https://www.corporateprofessionals.com/. All members of the public are hereby invited to provide their comments on the DLOF to SEBI and BSE with respect to the disclosures made in the DLOF. The public is requested to send a copy of the comments to SEBI, BSE and to our company or to the Lead Manager to the issue at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our company or by the Lead Manager on c before the Z1st (Twenty First) day by 5 p. m, from the aforementioned date of filing the DLOF with SEB.

GENERAL RISK: Investment in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the issue unless they

can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the company and the issue including the risks involved. The rights equity shares have not been recommended or approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of DLOF. Specific attention of investors is nvited to the section "Risk factors" on page 24 of the DLOF Note: Capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the DLOF

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Corporate **Professionals**

Corporate Professionals Capital Private Limited D-28. South Extension, Part I. New Delhi, Delhi 110049 Tel: +91 011 4062 2230 / 4062 2200 Investor Grievance ID: mb@indiacp.com Contact Person: Anjali Aggarwal
SEBI Registration No.: INM000011435

Date: April 10, 2024

Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 Tel: +91 11 4254 1627 Fax: +91 11 2355 2001

E-mail: jaykayerights@alankitassignments.com

Investor Grievance ID: jaykayerights@alankitassignments.com Contact Person: Ms. Neet SEBI Registration No.: INR000002532

For Jaykay Enterprises Limited On behalf of the board of directors

Mr. Yogesh Sharma

Company Secretary and Compliance Office

DISCLAIMER: Jaykay Enterprises Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, Market condition other considerations, to issue its equity shares on rights basis and has filed a Draft Letter of Offer with the SEBI and BSE. The Draft Letter of Offer shall be available or the website of the issuer company at www.jaykayenterprises.com , on the website of SEBI at https://www.sebi.gov.in , BSE at https://www.bseindia.com , and or the website of the Lead Manager at https://www.corporateprofessionals.com . Investors should note that investment in equity involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and reply on the draft letter including the section "Risk Factors"- on page 24 of the DLOF. This announcement has bee prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note the distribution of the DLOF and issue of equity shares on rights pasis to person in certain jurisdiction outside India may be réstricted by legal requirements prevailing in those Jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights entitlement or Rights Equity shares will be deemed to have declared, warranted, and agreed that at the time of subscribing for the Right Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in the restricted jurisdiction. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act'), or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting. Rights Equity Shares within its jurisdictions, and/or to its citizens. The offering to which the DLOF relates is not and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements.

Opinion, Insight Out

Opinion, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.ir





W.S.INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

CIN: L29142TN1961PLC004568 Registered Office: 108, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai 600 116 F-mail id: sectl@wsigroup in: website: www.wsindustries.ir

NOTICE FOR THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND E-VOTING INFORMATION

1.The Extra-Ordinary General Meeting of the Company will be held on Thursday, the 2nd May 2024, at 3.30 P.M. IST through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice dated 4th Apri 2. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has, vide its Circular No. 2/2022 dated -May 5, 2022, General Circular No. 02

2021 dated January 13, 2021 read with General Circular No. 20 / 2020, General Circulars No. 17 / 2020 and 14 / 2020 dated May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020, respectively (collectively referred to as "MCA Circulars"), read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62. Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and Circular number SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated - May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), permitted the holding of the Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") through VC / OAVM, vithout the physical r nce of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA / SEBI Circulars, the Extra-Ordinary General Meeting of the Company is being held through VC / QAVM

3.In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date being 25th April 2024, with facility of e-voting ("remote e-voting") for the EGM, through electronic services provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL) to enable them to cast their vote on all the resolutions as set out in the said Notice. All the members are informed that:

i.All the Business as set out in the Notice dated 4th April 2024 may be transacted through electronic means by remote

ii. The Notice convening the Extra-Ordinary General Meeting was sent in electronic form on 10th April 2024 to those Members of the company whose email addresses are registered with the company/Depository Participants and physical copy to all members appearing in the Register of members as on 5th April 2024.

iii.The date and time of commencement of remote e-voting: 29th April 2024 at 9.00 AM

iv. The date and time of end of remote e-voting: 1st May 2024 at 5.00 PM.

v.The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the EGM and determination of e-voting rights: vi. Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of Notice of EGM

through electronic form and holding shares as of the cut-off date i.e. 25th April 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.or yuvraj@integratedindia.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote vii. Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance least 7 (seven)

days prior to the meeting i.e. on or before 25th April 2024 mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at sectl@wsigroup.in. The same will be replied by the company suitably at the EGN viii The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 PM, on 1st May 2024. Once the vote on a

resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

ix.Only those Members/Shareholders, who will be present in the EGM through VC/OVAM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting x.A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be

xi.The attendance of the members attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the

guorum under section 103 of the Companies Act. 2013. xii. Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the

depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM. xiii.Website address of the Company, where Notice of EGM is displayed: www.wsindustries.in and also on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia. com respectively and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL), agency for providing the Remote e-Voting facility i.e. https://www.evoting.nsdl.com.

xiv.In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call at 022 - 4886 7000.

xv.The Company has appointed Mrs.Lakshmmi Subramaniam, Practising Company Secretary as the scrutinizer for conducting the remote e-voting and also e-voting process during the EGM in a fair and transparent manner.

xvi.Contact details of the person responsible to address the grievances connected with remote e-voting.:- Mr. B Swaminathan, Company Secretary, Address 108, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai 600 116. Email Id: sectl@

xvii.Please keep your updated email ID registered with the RTA/ your Depository Participant to receive timely

By the Order of the Board of Directors of W.S. Industries (India) Limited B.Swaminathan Company Secretary

Place: Chennai





प्रपत्र नं. 5

O.A. No. 1232/2023

CENTRAL BANK OF INDIA

Smt Shashi Singh & Others

and decided in your absence.

ऋण वसूली न्यायाधिकरण 600/1, युनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ (न्यायाधिकार क्षेत्र - उत्तर प्रदेश का हिस्सा) प्रकाशन द्वारा जवाब देने एवं उपस्थित होने के लिए समन

(बैंकों एवं वित्तीय संस्था<mark>नों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा</mark> 19(4) के साथ पठित . ऋण वसूली न्यायाधिकरण प्रक्रिया नियम, 1993 के नियम 12 एवं 13 के अधीन प्रतिवादी को सूचना) ओए सं.1088 ऑफ 2023 दिनांकः 16.02.2024 एचडीएफसी बैंक लि

श्रीमती ज्वाला कौल

प्रतिवादीगण श्रीमती ज्वाला कौल पति स्वर्गीय संजीव कौल पताः मकान नं. 2-ए, नीलगिरी अपार्टमेंट्स-1 प्रतिवादीगण

सेक्टर-34. गौतम बद्ध नगर. नोएडा-201301. उत्तर प्रदेश-भारत ऊपर उल्लिखित आवेदन में, इस समन के प्रकाशन के उपरांत आवेदक या उनके सलाहकार/यथावत रूप से अधिकत एजेंट को इसकी प्रतिलिपि सेवित करने के बाद आपको व्यक्तिगत अथवा यथावत रूप से अधिकत एजंट या वैश्व अधिवक्ताओं द्वारा बरसावेज तथा हत्त्वकामा। (यदि कोई हो) के साथ दो सेटों में पेपर बुक प्रारूप में उत्तर दायर करना होगा तथा तदुपरांत इस न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक **20.08.2024 को सुबह** 10.30 बजे उपस्थित होना होगा, अन्यथा आपकी गैर हाजिरी में आवेदन पर सुनवाई कर उस पर निर्णय

FORM NO. 5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow (Area of Jurisdiction Part of Uttar Pradesh)

Summons for filing Reply & Appearance Through Publication

(Summons to defendant under section 19(4) of the Recovery of

Debts due to Bank and Financial Institution Act, 1993 read with Rules 12

and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules 1993)

Versus

3. Mr Bhupendra Singh S/o Sh Prithvi Raj Singh Vill Jahidpur Kalan,

In the above noted application, you are required to file reply/evidence

in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal

practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the

applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the

summons and thereafter to appear before the Tribunal or

15.10.2024 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard

पंजीयक, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ

.APPLICANT

.DEFENDANTS

Registra

FORM NO. 5 **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL**

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow (Area of Jurisdiction Part of Uttar Pradesh) Summons for filing Reply & Appearance Through Publication O.A. No. 1248 of 2023

Summons to defendant under section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules 1993

CENTRAL BANK OF INDIA VERSUS M/S KSHETRIYA SHRE **GANDHI ASHRAM & OTHERS**

DEFENDANTS I. M/s Kshetriya Shree Gandhi Ashram, Garh Road, Meerut, Uttar

Pradesh, Through its Administrator In the above noted application, you are required to file reply/evidence i Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (i any), personally or through your duly authorized agent or lega practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 16.10.2024 at

10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided i

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिए)

चंकि, सेंटल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहरताक्षरी ने प्रतिभृतिकरण एवं वित्तीर

न्नुरार , राष्ट्रपत बन्द्र आपन हो कार्य पर जाविक ता विकास हो के पात कार्यक्रियों हो ने आर्थित एवं परिवार्ट्स संपंतियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (आर्डि. 3 का 2002) के अधीन तथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 9 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के

प्रयोग के तहत मांग सूचना दिनांकित 04-09-2023 जारी की थी, जिसमें श्री प्रमोद गुप्ता पिता श्री हरि पा

पूचता पूर्व श्रीमती चंद्रावती गुप्ता पति श्री हरि पाल गुप्ता को कथित सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर दिनांक 05-07-2022 तक सूचना में उल्लेखित रकम रू. 48,86,662,00/- (रुपये अड़तालीस लाख छियासी हजार छह सौ बासठ मात्र) के साथ ब्याज तथा अन्य शुल्क की रकम चुकता करने को कहा गया था। कर्जदारों/गारंटीदाताओं द्वारा उक्त रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदारों एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि कथित अधिनयम की धारा 13(4) के साथ पठित कथित नियम के

नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा **06 अप्रैल, 2024** को यहां नी

विशेष तौर पर कर्जदार/गारंटीदाताओं तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतददारा सतर्क किया जाता है वि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा दिनांक 05-07-2022

नक फ 48 86 662 00/- के साथ उस पर उपरोक्त उल्लेखित ब्याज तथा अन्य शल्क की रकम के लि

कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धा

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री प्रमोद गप्ता के नाम पर खसरा नं. 650. सं. आरजेड-6के/11/563 (पराना आरजेड-6के/11) सम्प

त्रा प्रमाप युसा के नाम पर खेतर ने . 0.00, से . जारपेड-एक हो है . जारपेड-एक पुराना जारपेड-एक हो . जारपेड-एक हो तीसरी मंजिल साथ में छत का अधिकार), इंदिरा पार्क गालम कॉलोनी नासिरपुर, नई दिल्ली-110045 में वर्ग यार्ड परिमाप की गिरवी पर रखी गई साम्पिक सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्स्था। **सम्पत्ति की चौहरी**.

तरः गली, पश्चिमः सावित्रि शर्मा की सम्पत्ति, पूर्वः राम किशन की सम्पत्ति, दक्षिणः सङ्क

र्गित सम्पत्ति पर **भौतिक कब्जा** कर लिया गया है।

सेंट्रल वैंक ऑफ इंडिया के प्रभार का विषय-वस्तु होगा।

13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

तारीखः 06.04.2024, स्थानः नई दिल्ली

Registra Debts Recovery Tribunal, Lucknow

सेंटल बैंक ऑफ इंडिया

पताः 2/121 आनंद प्रभात इंडस्ट्रियल एरिया न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005

यूनियन बैंक 🅼 **Union Bank**

एससीओ 137-138, सेक्टर-8 सी, चण्डीगढ़ दूरभाष नं. : 01722-721096 ई-मेल : ubin057811@unionbankofindia.ban

र्ड-नीलामी बिक्री सुचना

परिशिष्ट कर-ए [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

एतद्वारा अधिकृत प्राधिकारी के माध्यम से जन सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रीं) एवं जमानती(यों) को सचना दी जाती है कि यनियन बैंक ऑफ इण्डिया के पास बंधक नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति का कब्जा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13(4) के तहत किया गया था, निम्नलिखित बकायों तथा भावी ब्याज, प्रभारों लागतों आदि की वसली के लिए उसकी बिक्री की जायेगी।

यह सम्पत्ति, **जो भी है वहीं तथा आश्रय रहित**'' आधार पर की जाती है क्योंकि यह बिक्री बिना किसी वारंटी तथा इन्डेम्निटी के है।

अधोलिखित स्पत्तियो की बिक्री ''ऑनलाइन ई-नीलामी'' के माध्यम से वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर 30.04.2024 को 12.00 बजे अप. से 05.00 बजे अप. तक की जायेगी।

न्यूनतम वृद्धि राशि आरक्षित मूल्य के 1% तथा इसके गुणकों में है।

न्यायालय के समक्ष लंबित दायर सीडब्ल्युपी/1110/2022 के परिणाम के अधीन होगी।

2) * बैंक/प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में सम्पत्ति/यों पर कोई ऋणभार ज्ञात नहीं है।

सूचना की तिथि तथा कर्जदार/बंधककर्ता तथा जमानती का नाम आरक्षित मुल्य खाता का नाम दावाकृत राशि मैसर्स एसएमएस इंटरनेशनल कर्जदारः मैसर्स एसएमएस इंटरनेशनल बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड प्लॉट 28.06.2021

नंबर 49, औद्योगिक क्षेत्र, लोधी माजरा, तहसील- बद्दी, नालागढ़, जिला-सोलन, हिमाचल प्रदेश -173205 (निदेशक श्री सुधीर कुमार गुप्ता और श्रीमती बबीता गुप्ता के माध्यम से) निदेशकः -1. श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र पदम सैन गुप्ता, मकान नंबर 1383/1, रामनगर, कालका पंचकुला, हरियाणा-133302, 2. श्रीमती

रु. 5,20,38,469.82 (रुपये पांच करोड़ बीस लाख अडतीर हजार चार सौ उनहत्तर एवं बयासी पैसे मात्र) तिथि 28.06.2021 तक तथा 29.06.2021 से भावी ब्याज, लागत एवं व्यय

बबीता गुप्ता पत्नी श्री सुधीर कुमार गुप्ता मकान नंबर 1383/1, रामनगर, कालका, पंचकुला, हरियाणा-133302. गारंटर/बंधककर्ता 1 .श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र पदम सैन गुप्ता हाउस नंबर 1383/1, रामनगर, कालका, पंचकुला, हरियाणा-133302, 2. श्रीमती संगीता जिंदल पत्नी अनुज जिंदल, मकान नं. 32-ए-एफ4, शक्ति खंड-क्क्र इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी-201010. 3 श्रीमती बबीता गुप्ता पत्नी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, मकान नंबर 153/5, प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर, युपी-251002. 4.श्रीमती बबीता गुप्ता पत्नी श्री सुधीर कुमार गुप्ता, मकान नंबर 1383/1, रामनगर कालका, पंचकुला, हरियाणा-133302. 5. श्री संजय मित्तल, मकान नंबर 126/एफ, टाइप-५, सेक्टर-3, रिलायंस ग्रीन्स, मोती खावड़ी, जामनगर, गुजरात-361140. 6. श्रीमती कंचन मित्तल पत्नी संजय मित्तल, मकान नं. 126/एफ, टाइप-5, सेक्टर-3, रिलायंस ग्रीन्स/रिलायंस टाउनशिप, मोती खावड़ी, जामनगर, गुजरात-361140. 7. श्रीमती रचना अग्रवाल पत्नी संजीव जिंदल पता 1-वाया राजेश चंद एंड संस, बुगरासी चौपाल, सियाना जिला बुलंद शहर, यूपी-203001. पता 2- मकान नं. 03-33, ब्लॉक-742, पसिर रिस स्ट्रीट-71, सिंगापुर पिन कोड-730633 8. श्री मुल चंद गर्ग, मकान नंबर-233/19, बरमपुरी, मुजफ्फरनगर, युपी, 9. श्री राजीव गर्ग पुत्र मुल चंद गर्ग, पता 1- ब्लॉक-633, 03-155, वुडलैंड्स रिंग रोड, सिंगापुर, पिन कोड-730633. पता 2- मकान नंबर 233/19, ब्रह्मपुरी, मुजफ्फरनगर, युपी 251001. 10. श्री संजीव जिंदल पुत्र राजेश चंद जिंदल, पताः 1. ब्लॉक 742, पिसर आरआईएस, स्ट्रीट 71, युनिट-03-33, सिंगापुर-510742. पताः 2. वाया राजेश चंद एंड संस, बुगरासी चौपला, सियाना, जिला बुलंद शहर, यूपी

वेची जाने वाली सम्पत्ति/यों का विवरण : लॉट: 1. : (सीईआरएसएआई पंजीकरण आईडी संख्याः (प्रतिभृति हित आईडी – 400005963902 और संपी आईडी - 200005956046) आवासीय फ्लैट के बंधक के विरुद्ध, जो संयुक्त रूप से श्री संजीव जिंदल और श्री राजीव गर्ग से संबंधित है, फ्लैट नंबर एफ 2, पहर्ल मंजिल (पीछे की ओर) पर स्थित, प्लॉट नंबर 639, शक्ति खंड-3, इंदिरापरम, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201014, माप लगभग 65,00 वर्ग मीटर है और (नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार) सीमाएं : पूर्व - प्लॉट नंबर 638, पश्चिम - प्लॉट संख्या 640, उत्तर - प्लॉट संख्या 666, दक्षिण - उसी इमारत में सामने की ओर का फ्लैट (कब्जे का प्रकार: सांकेतिक कब्जा)।

₹. 39.00.000/-₹. 3,90,000/-ध्यान दें: बिक्री माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित दायर सीडब्ल्यूपी/20344/2022, सीडब्ल्यूपी/13747/2023, सीडब्ल्यूपी/4372/2022, माननीय दिल्ली उच्च

लॉट : 1

लॉट : 2

न्यायालय के समक्ष लंबित दायर सीडब्ल्यूपी/1110/2022 के परिणाम के अधीन होगी। लॉट: 2. बंधक (सीईआरएसएआई पंजीकरण आईडी संख्या: (प्रतिभृति हित आईडी - 400005963812 और संपत्ति आईडी - 200005955957) के विरुद्ध, आवासीय पलैट संयुक्त रूप से श्री संजीव जिंदल और श्री राजीव गर्ग से संबंधित, फ्लैट नंबर जी 2, ग्राउंड फ्लोर (पीछे की ओर) पर स्थित, प्लॉट नंबर 639, शक्ति खंड-3,

T 40.00.000/-इंदिरापुरम, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201014, माप लगभग 65.00 वर्ग मीटर है और (नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार) सीमाएं : पूर्व- प्लॉट नंबर 638, पश्चिम- प्लॉट नंबर 640 उत्तर - प्लॉट नंबर 666, दक्षिण - उसी इमारत में सामने की ओर का फ्लैट।(**कर्ड्जे का प्रकार: सांकेतिक कर्ड्जा**)। ₹. 4,00,000/-ध्यान दें: बिक्री माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित दायर सीडब्ल्यूपी/20344/2022, सीडब्ल्यूपी/13747/2023, सीडब्ल्यूपी/4372/2022, माननीय दिल्ली उच्च

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.unionbankofindia.co.in तथा वेबसाइट : www.mstcecommerce.com का सन्दर्भ लें। ईएमर्ड ट्रांसफर/ईएमडी रिफंड अथवा वित्त तथा खाते से सम्बन्धित किसी मुद्दे के लिए संविदाकार सीधे हेल्प डेस्क नं. 033-22901004/033-22895064 से सम्पर्क कर सकते हैं bbarik@mstcindia.co.in, shembram@mstcindia.co.in पर मेल करें। सम्पर्क विवरण लिंक के लॉगिन पेज https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

के हेल्प डेस्क मेन्यू में भी प्रावधानित हैं। पंजीकरण तथा लॉगिन एवं संविदा नियमों के लिए कृपया https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.isp देखें। सांविधिक हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिवसीय बिक्री सूचना इसे उपर्युक्त तिथि पर ई-नीलामी बिक्री के

जाए।

तिथि : 10.04.2024 स्थान : चण्डीगढ अधिकृत प्राधिकारी, युनियन बैंक ऑफ इंडिय

पंजाब नेशनल बैंक बृज विहार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

Debts Recovery Tribunal, Lucknow

जनसाधारण को सूचित है कि श्री पुनीत अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चंद अग्रवाल की आवासीय संपत्ति भवन संख्या बी 502, भूतल, बी ब्लॉक, सेक्टर ८, बुज विहार, गाजियाबाद के मूल दस्तावेज आवास संपति के पेपर बैंक में गिरवी रखे गए थे। इन दस्तावेजों की रजिस्ट्री संख्या 10108, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 2564, के पृष्ठ नंबर 47-58, दिनांक 30/09/2006 को उप निबंधक द्वितीय गाजियाबाद पर रजिस्टर्ड है। यह मूल कागजात उक्त शाखा में मिल नहीं रहे हैं। अतः इनको गुम मान लिया गया है। यह दस्तावेज किसी भी सज्जन को मिले तो बैंक में पहुँचने का कष्ट करें। ये दस्तावेज किसी भी प्रकार प्रयोग में नहीं लिए जा सकते और इन गुमशुदा दस्तावेजों के आधार पर किया गया कोई भी सौदा या व्यवहार पूर्णतः शून्य माना जाएगा।

शाखा प्रमख

विशेष अभियान विभाग, एचडीएफसी बैंक लि. भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादूर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली –110002 🗅 HDFC BANK कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट—IV के तहत)

अधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

जबिक, अधोहस्ताक्षरी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिनांक **31 अक्टूबर, 2023** को एक मांग सूचना जारी कर, कर्जवाद मैसर्स शक्ति देखर्स (कर्जवार), मालिक श्रीमती सरोज आहुजा पत्नी किशोरी लाल और श्री किशोरी लाल आहुजा (बंधककर्ता(ऑ))/गारंटर(रों) के म ाध्यम से, को सूचना में उल्लेखित राशि रुपये 1,95,83,883.20/— (रुपये एक करोड़ पचानबे लाख तैरासी हजार आठ सी तैरासी और बीस पैसा मात्र) दिनांक 31.10.2023 तक संग उस पर 01.11.2023 से मिनिष्य का ब्याज और प्रभारों उक्त सूचना प्राप्त होने की देनांक से 60 दिनों के भीतर चकाने का आहवान किया है। कर्जदार(ओं) /गारंटर(शें) / बंधककर्ता(ओं) राशि चकाने में विफल रहे हैं, एतर द्वारा कर्जदार(औ) /गारटर(श)/ बंधककर्ता(औ) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की घारा 13 (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर इस अप्रैल, **2024 के 10 वें दिन** पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जूदार(ऑ) गारंटर(रॉ)/ बेंधककर्ता(ऑ) को विशेष रूप से और आम तौर पर जनता को आगाह किया जाता है कि वह नीर्च ल्लेखित संपत्ति से कोई लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार राशि **रुपये 1,95,83,883.2**0/= रुपये एक करोड़ पचानवे लाख तैरासी हजार आठ सौ तैरासी और बीस पैसा मात्र) दिनांक ३ 1.10.2023 तक + . उस पर **0 1. 1 1. 2023** से 18 % प्रति वर्ष कि दर से देय ब्याज और आपके द्वारा देय उपरोक्त संग व्ययों और प्रमारों आदि सहित एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रमार के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया

अचल संपत्ति का विवरण				
अचल संपत्ति का विवरण	बंधककर्ता			
न्यायसंगत बंधक संपत्ति सं. 27/22, खसरा सं. 704, मापक 44.33 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम चंद्रावली, ज्वाला नगर, शाहदरा, दिल्ली— 110032	श्री किशोरी लाल आहुजा पुत्र संत राम			

नोट: उपरोक्त स चना को अधिनियम के नियम 6.8 और 9 के तहत बिक्री को लिए 30 दिनों की सटना के रूप में मान खारा स्थान : दिल्ली दिनांक : 10 अप्रैल 2024 प्राधिकृत अधिकारी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

पंजाब नेशनल बैंक ए-49, रामपुरी, बुज विहार, गाजियाबाद

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT IN TERMS OF SEBI CIRCULAR BEARING NO. SEBI/HO/CFD/POD-1/P/CIR/2024/009 DATED FEBRUARY 06, 2024 AND RESUBHISSION OF THE DRAFT LETTER OF OFFER. IT IS FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA PUBLIC ANNOUNCEMENT

JAYKAY ENTERPRISES LIMITED Corporate Identity Number: L55101UP1961PLC001187

Jaykay Enterprises Limited (our "Company" or the "Issuer") was originally incorporated as "J.K. Investment Trust Limited" on May 17, 1943, as a public company under the provisions of the Indian Companies Act, VII of 1913 with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Joint Stock Companies, United Provinces of Agra and Oudh on May 17, 1943. Subsequently, the name of our Company was changed to "J.K. Synthetics Limited", and a fresh certificate of incorporation consequent to the change of name was issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur on May 9, 1961, under the provisions of the Companies Act, 1956. Further, the name of our Company was changed to "Jaykay Enterprises Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent to the change of name issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, and Uttarakhand on October 15, 2010.

Registered Office: Kamla Tower, Kanpur - 208 001, Uttar Pradesh, India Contact person: Yogesh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer Telephone: +91512 237 1478 | E-mail id: cs@jaykayenterprises.com |
Website: www.jaykayenterprises.com
Corporate Identity Number: L55101UP1961PLC001187

PROMOTER OF OUR COMPANY: MR. ABHISHEK SINGHANIA

ISSUE OF UP TO 5,84,57,688 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 25/, PER RIGHTS FOUNTY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 24/, PER RIGHTS FOUNTY SHARE) AGGREGATING UE TO ₹ 14,614.42 LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARE FOR EVERY 1 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON [•] (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 153 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER.

This public approuncement is being made in continuation to the Public Approuncement dated Japuary 26 2024 and in compliance with the sub-clause 2.3 or Annexure A of the SEBI Circular bearing no. SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/009 dated February 06, 2024 ("SEBI Circular") and the provisions of regulation 72(2) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirement) Regulations 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations"), to state that Jaykay Enterprises Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of equity shares to its eligible equity shareholders on rights basis and has filed the Draft Letter of Offer dated January 25, 2024 and the re submitted Draft Letter of Offer dated April 09

Pursuant to SEBI Circular read with Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with SEBI and BSE is open for public comments, if any. The DLOF is hosted on the website of our company at www.jaykayenterprises.com, website of SEBI at https://www.bebi.gov.in/, website of the Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are listed i.e., BSE at https://www.bseindia.com/ and website of the Lead Manager i.e., Corporate Professionals Capital Private Limited at https://www.bseindia.com/ and website of the Lead Manager i.e., Corporate Professionals Capital Private Limited at https://www.bseindia.com/ and website of the Lead Manager i.e., Corporate Professionals Capital Private Limited at https://www.bseindia.com/ and website of the Lead Manager i.e., Corporate Professionals Capital Private Limited at https://www.bseindia.com/ and website of the Lead Manager i.e., Corporate Professionals Capital Private Limited at https://www.bseindia.com/ and website of the Lead Manager i.e., Corporate Professionals Capital Private Limited at https://www.bseindia.com/ and website of the Lead Manager i.e., Corporate Professionals Capital Private Limited At https://www.bseindia.com/ and website of the Lead Manager i.e., Corporate Professionals Capital Private Limited At https://www.bseindia.com/ and website of the Lead Manager i.e., Corporate Professionals Capital Private Limited At https://www.bseindia.com/ and website of the Stock Capital Private Limited At https://www.bseindia.com/ and website of the Stock Capital Private Limited At https://www.bseindia.com/ and website of the Stock Capital Private Li the Lead Manager to the issue at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our company or by the Lead Manager on or before the 21st (Twenty First) day by 5 p. m, from the aforementioned date of filing the DLOF with SEBI.

GENERAL RISK: Investment in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the issue unless they

can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the issue. For can arrive to take the insk dissing in a measural. Interests a readvised to lead ut his known at the instruction of the company and the issue including the risks involved. The rights equity shares have not been recommended or approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of DLOF. Specific attention of investors is invited to the section "Risk factors" on page 24 of the DLOF

Note: Capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the DLOF.



Corporate Professionals Capital Private Limited D-28, South Extension, Part I, New Delhi, Delhi 110049
Tel: +91 011 4062 2230 / 4062 2200 E-mail: mb@indiacp.com Investor Grievance ID: mb@indiacp.com Website: www.corporateprofessionals.com Contact Person: Anjali Aggarwal

SEBI Registration No.: INM000011435

REGISTRAR TO THE ISSUE

Alankit Assignments Limited Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 Tel: +91 11 4254 1627 Fax: +91 11 2355 2001 E-mail: jaykayerights@alankitassignments.com Investor Grievance ID: jaykayerights@alankitassignments.com

> SEBI Registration No.: INR000002532 For Jaykay Enterprises Limited On behalf of the board of directors

> > Mr. Yogesh Sharma Company Secretary and Compliance Office

Date: April 10, 2024

DISCLAIMER:

Jaykay Enterprises Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, Market condition other considerations, to issue its equity shares on rights basis and has filed a Draft Letter of Offer with the SEBI and BSE. The Draft Letter of Offer shall be available on the website of the issuer company at www.jaykayenterprises.com, on the website of SEBI at https://www.bseindia.com, and on the website of the Lead Manager at https://www.corporateprofessionals.com . Investors should note that investment in equity involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and reply on the draft letter including the section "Risk Factors"- on page 24 of the DLOF. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note the distribution of the DLOF and issue of equity shares on rights basis to person in certain jurisdiction outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those Jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights entitlement or Rights Equity shares will be deemed to have declared, warranted, argred that at the time of subscribing for the Right Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in the restricted jurisdiction. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in any other jurisdiction ve any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdictions, and/or to its citizens, The offering to which the DLOF relates is not and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements.

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17-ए, चंडीगढ़ (तीसरे और चौथे तल पर भी अतिरिक्त जगह आबंटित)

केस नं.: ओए/1983/2018 मिनियम की धारा 19 की उप—धारा (4), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के

नियम 5 के उप-नियम(2ए) के साथ पठित, के तहत समन ईएक्सएच, नं: 22418 बैंक ऑफ महाराष्ट

मेसर्स रियो अपेरल्स इंक

(1) मेसर्स रियो अपेरल्स इंक

मेसर्स रियो अपेरल्स इंक. अपने भागीदार संजय खरबंदा के माध्मय से डी-75. प्रथम तल सेक्टर 7, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

(2) संजय खरबंदा पुत्र स्व. श्री कृष्णन लाल, निवासी मकान नं. बी–32, ट्राईनिटी टॉवर, डीएलएफ, फेज-V, गुडगाँव, हरियाणा भागीदार मेसर्स रियो अपेरल्स इंक. (3) मनोज मेहता पुत्र श्री मदन लाल मेहता, निवासी एच.नं. 401, टॉवर VI, विपुल बेलमोंटे,

सेक्टर 53, गोल्ड लिंक्स, गुडगाँव, हरियाणा भागीदार मेसर्स रियो अपेरल्स इंक.

समन

जबिक, ओए / 1983 / 2018 दिनांक 03.04.2024 को माननीय पीठासीन अधिकारी / पंजीयक के समक्ष सचीबद्ध हुआ था।

जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण रु. 45,17,089/- के ऋण की वसूली के लिए आपके विरुद्ध (ओए) अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर समन / नोटिस जारी करने के लिए संतुष्ट है (दस्तावेज आदि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धाराँ 19 की उप-धारा(4) के अनुपालन में आप, प्रतिवादी को निम्न निदेश किए जाते हैं:

(i) मांगी गई राहत क्यों न दी जाए का समन की सर्विस के तीस दिनों के अंदर कारण

(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3ए पर आवेदक द्वारा उल्लिखित संपत्तियों और परिसंपत्तियों से इतर संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकटन;

(iii) प्रत्याभूत परिसंपत्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए पर उल्लिखित, विचाराधीन और संपत्तियों की कर्की के लिए आवेदन के निपटारन के तहत ऐसी अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों से लेन-देन या निपटारन करने से आप निषिद्ध हैं;

(iv) किसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति हित किया गया है और / या मूल आवेदन के क्रमांक ३ए पर उल्लिखित अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों को बिना न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिक्री, पट्टे या अन्य किसी तरीके, उसके व्यवसाय के सामान्य तरीके को छोड़कर, आप हस्तांतरित नहीं करेंगे;

(v) प्रत्याभृत परिसंपत्तियों या व्यवसाय के सामान्य तरीके में अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री धनराशियों का हिसाब देने और ऐसी बिक्री धनराशियों को ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभृति हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों में अनुरक्षित खाते में जमा करना होगा।

आपको लिखित बयान दर्ज करने और इसकी एक प्रति आवेदक को देने तथा 26.06.2024 को समय सुबह 10:30 बजे पंजीयक के समक्ष हाजिर होने का भी निदेश किया जाता है अन्यथा आवेदन पर आपकी गैर-हाजिरी में ही सुनवाई की जायेगी और निर्णय दिया

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत दिनांकः 08.04.2024 को दिया समन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

दिनांक: 11 04 2024

स्थान : देहरादन

中 HDFC BANK

कब्जे का नोटिस एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा का पताः द्वितीय एवं तृतीय तल, प्रीमियर प्लाजा, 106 राजपुर रोड, एस्टले हॉल के सामने, देहरादून-248 001 CIN: L65920MH1994PLC080618 जैसा कि **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में (माननीय एनसीएलटी—मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा

अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्निर्माण और प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(1²) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन एक मांग सूचना जारी की जिसमें निम्नलिखित काननी उत्तराधिकारी (यों) और कानुनी–प्रतिनिधि (यों) को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशि के साथ कथित सूचना में दर्शाए गए अनुसार लागू दरों पर उसमें लगने वाले ब्याज को कथित सचना (ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भगतान और / या वसली की तिथि तक प्रासंगिक ब्यय

क्र. सं.		बकाया देयराशियां* (रू०)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1	श्री मैन पाल (ऋणी) श्री दुली चन्द (जमानतकर्ता)	27,15,445 /— दिनांक 30.09.2023* तक	26.10.2023	08.04.2024 भौतिक	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग एक किता विला नं० 5, खेत नं० 212 मिन, (वसुन्धरा ग्रीन्स आवासीय कालोनी) ग्राम फुलसुंगी, तहसील रुद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर, वर्तमान और भविष्य के निर्माण सहित, मारा पूं, 55.02 फुट, उ: 23.25 फुट, द: 23.25 फुट, वा अक्षा प्राप्ति होते होते होते होते होते होते होते होते
2	श्री सोनू वर्मा संरक्षक श्रीमती दिव्या वर्मा पुत्री श्री दीपक वर्मा (अब मृतक) एवं श्रीमती पल्लवी वर्मा (अब मृतक) एवं श्रमच जाने अन्जाने कानूनी उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि श्री दीपक वर्मा (अब मृतक) (अं श्रीमती पल्लवी वर्मा (अब मृतक) (अब मृतक)	24,58,056 /— दिनांक 30.11.2023* तक	29.12.2023	08.04.2024 सांकेतिक	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग प्लाट नं० 4 गाटा नं० 206 मिन पर, ग्राम फुलसंगी, तहसीहल रूद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर, वर्तमान और भविष्य के निर्माण सहित, माप 23.25 फुट x 53.40 फुट माप प्लाट क्षेत्रफलः 115.38 वर्ग मी० / 1241.48 वर्ग फुट एवं केवर्ड क्षेत्रफलः 134 वर्ग मी० / 1441.84 वर्ग फुट, चौहद्दीः पू: प्लाट मैन पाल, प: अन्य का प्लाट, उ: अन्य की भूमि, द: रास्ता 9.144 मीटर
3	श्री गौरव मिंत्तल (ऋणी) श्रीमती राघा गुप्ता (सह—ऋणी) श्रीमती निघी अग्रवाल (सह—ऋणी) श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता (सह—ऋणी) मेसर्स मित्तल ट्रेडर्स (सह—ऋणी)	13,50,621 /— दिनांक 30.11.2023* तक	04.01.2024	08.04.2024 सांकेतिक	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग एक किता आराजी वाकं काशीपुर, मोहल्ला सिंहन जो वर्तमान में उपस्थित मकान म्यूनिसिपल नं० 61/335/20(1) पर, सिंहन कालोनी, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, वर्तमान और भविष्य के निर्माण सहित, माप : पूर्व एवं पश्चिम—35 फुट, उत्तर एवं दक्षिण—36 फुट, प्लाट क्षेत्रफलः 113.40 वर्ग मी0/1230.18 वर्ग फुट, बंकवर्ड क्षेत्रफलः 180 वर्ग मी0/1937 वर्ग फुट, बौड्यहर्ग पुर, बौह्यहर्ग, पुर, वौहद्दी: पू: मकान सरजीत सिंह, प: विक्रेता की सम्पत्ति, उ: गली, द: आराजी राजेन्द्र सिंह
4	श्री सनी कुमार (ऋणी) श्रीमती मौसमी देवी (सह—ऋणी)	11,48,400 /— दिनांक 30.11.2023* तक	29.12.2023	09.04.2024 भौतिक	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग प्लाट नं० 63—बी, खसरा नं० 322 मिन, टेहरी विथापीत क्षेत्र, रोशनाबाद, ग्राम सेलमपुर मेहदूद 1, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, वर्तमान और भविष्य के निर्माण सहित, मापः पूछ: 16 फुट, पठः 16 फुट, उठः 40 फुट, दठः 40 फुट, माप प्लाट क्षेत्रफलः 59.48 वर्ग मी० / 640 वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्रफलः 70 वर्ग मी० / 753.20 वर्ग फुट चौहद्दीः पू: 18 फुट चौड़ी सड़क, पः प्लाट नं० 58 एवं 59, उः प्लाट नं० 63—ए, दः प्लाट नं 62
5	श्री संदीप सिंह (ऋणी) श्रीमती ममता टोपवाल (सह—ऋणी)	22,12,709 / — दिनांक 30.11.2023* तक	04.01.2024	10.04.2024 भौतिक	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग भूमि खाता खतौनी नं0 1267 (फसली वर्ष 1422 से 1427), खसरा नं0 896, मौजा मियावाला, परगना पचवादून, तहसील एवं जिला देहरादून, वर्तमान और भविष्य के निर्माण सिहत, माप प्लाट क्षेत्रफलः 124.08 वर्ग मी0 / 1335.10 वर्ग फुट चौहद्दी: पू: श्री कमल नयन की भूमि, साइड की माप 42.33 फुट, प: विक्रंता की भूमि, साइड की माप 35.43 फुट, उ: उन्य की भूमि, साइड की माप 35.43 फुट, उ: उन्य की भूमि, साइड की साठ 35.45 फुट, उ: उन्य की भूमि, साइड की साठ 35.33 फुट, व: 20 फुट चौड़ी सड़क, साइड की माप 35.33 फुट
6	श्री नवीन गुप्ता (ऋणी)	25,64,210 / — दिनांक 30.11.2023* तक	04.01.2024	10.04.2024 सांकेतिक	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग भूमि खाता खतौनी नं0 1794 (फसली वर्ष 1417 से 1422), खसरा नं0 1063 ख, मौजा मेहूवाला माफी, परगना पचवादून, तहसील एवं जिला देहरादून वर्तमान और भविष्य के निर्माण सहित, माप प्लाट क्षेत्रफल: 78.06 वर्ग मी0/840 वर्ग फुट

*भुगतान और / या वसूली की तिथि तक उचित लागू अनुसार आगे लगने वाले ब्याज, प्रांसगिक व्यय,लागत, प्रभार आदि के साथ, जैसा लागू हो। हालांकि. उपरोक्त दर्शाए गए काननी उत्तराधिकारी (यों) और काननी–प्रतिनिधि (यों) बकाया राशि का भगतान करने में असफल रहें इसलिए रतदद्वारा विशेषतः कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि **एचडीएफसी** के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों को अचल सम्पत्ति / प्रतिभृत परिसम्पत्ति पर **भौतिक / सांकेतिक कब्जा** कर लिया है।

एवं कवर्ड क्षेत्रफलः 90.06 वर्गमी० / 969.04 वर्ग फुट

चौहद्दी: पू: श्री साधू सिंह की भूमि, साइड की माप 40 फुट, प: श्री साधू सिंह की भूमि, साइड की माप 40 फुट,

उः श्री साधू सिंह की भूमि, सोइंड की माप 21 फुट, दः 20

प्राधिकृत अधिकारी

फुट चौड़ा रास्ता साइड की माप 21 फुट

वेशेषतः उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अचल सम्पत्ति / प्रतिभृत परिसम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति / प्रतिभृत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन **एचडीएफसी** के बन्धक के अधीन होगा।

काननी उत्तराधिकारी (यों) और कानुनी–प्रतिनिधि (यों) को अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समय के भीतर प्रतिभूत परिसम्पत्ति / यों को मुक्त कराने की ओर से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त ऋणी / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि पंचनामा की तैयार प्रतियां उपलब्ध हैं, जिस् सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रतिलपि प्राप्त कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए

पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोवर पर्ल (पश्चिम) मुम्बई-400 013

संक्षिप्त खबरे

दबंगों ने युवक के पीटा वीडियो वायरल

कानपुर। गोविन्दनगर थानाक्षेत्र के रतनलाल नगर का एक वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें दबंग युवक को पीटते और गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा समाचार नहीं करता है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने दहशत फैलाने के लिये इस वीडियो को बनाया है और ख़ुद ही उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें पकड़ा नहीं गया है। यह वीडियो रतनलाल नगर इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में मार खाने के बाद युवक अपना जनेऊ निकालकर खुद के ब्रह्मण होने की बात कह रहा है। इसके बाद भी दबंग उसे और उसके साथी को पीट रहे हैं। यह वीडियो 21 सेकेंड का बताया जा

वीडियो की कोई पुष्टि हुई है। केडीए ने गेस्ट हाउस किया सील

रहा है। गोविन्दनगर थानाप्रभारी प्रशांत

प्रकरण में किसी ने भी कोई शिकायत थाने पर नहीं की है, न ही वायरल

मिश्रा ने बताया कि अभी तक इस



केडीए ने सील किया गेस्ट हाउस।

कानपुर । कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने बुधवार को डब्ल्यू ब्लॉक, जूही में भवन संख्या 744 और 744ए में संचालित दिव्यांशी गार्डेन गेस्ट हाउस को पुनः सील कर दिया गया है। यह कार्यवाही जोन-३ के प्रवर्तन अधिकारी और टीम ने की है। (एसएनबी)

डॉ० विश्राम सिंह,

पुत्र स्व० हरी राम निवासी टावर—5, फ्लैट नं० 103 ऑरेंज

काउंटी सोसाइटी, अहिंसा खंड-1, इंदिरापुरम,

न्यायालय मध्यस्थ/सहायक आवास आयुक्त/ सहायक निबन्धक

सूचना

अघोहस्ताक्षरी के समक्ष गंगा नगर सहकारी आवास समिति लि०, कानपुर द्वारा आपके

विरूद्ध मध्यस्थ वाद संख्या 12ई/2024 योजित किया गया है। उक्त वाद की नियत विगत

सुनवाई तिथियों में आप उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको एक

और अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि उक्त वाद की नियत अन्तिम सुनवाई

दिनॉक 25.04.2024 को पूर्वान्ह 11.30 बजे अघोहस्ताक्षरी के न्यायालय कक्ष में उपस्थित

होकर अपना पक्ष साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा उक्त सुनवाई

तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो गुण दोष के आधार पर

n May 17 1943 Subs

आग से 25 बीघा गेहूं की फसल राख

कानपुर (एसएनबी)। सचेंडी थानाक्षेत्र में मंगलवार दोपहर को खेतों में आग लग गई। आग से लगभग 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल की चार गाड़ियों ने आग को काब्

सचेंडी आलमपुर गांव में मंगलवार दोपहर को खेतों में आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंचे किसानों ने आग को बुझाने का प्रयास करने के साथ ही फायर ब्रिगेड को

सचना दी। आग इतनी

भयावह थी कि खेतों में

देखते ही देखते खड़ी

गेंहू की लगभग 25

बीघा फसल जलकर

दमकल की चार गाड़ियों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

राख हो गई। दमकल की चार गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काब पाया। आग से किसान रामसेवक, अभिमन्यु यादव, धर्मपाल, रामपाल, शिवपाल, तारा सिंह और सुखवासी यादव की फसलें जलकर राख हो गईं। आग से किसानों का लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। फसल जल जाने पर किसानों का बुरा हाल है, उनका कहना है कि साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। अब घर का खर्चा, बैंक का लोन कहां से पूरा करेंगे। वहीं, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

परचून की दुकान में लगी आग, बड़ा हादसा टला

कानपुर (एसएनबी)। लालबंगला में मंगलवार देर रात परचन दुकान में आग लग गई। पुलिस और दमकल कर्मियों ने कडी मशक्कत के बाद आग बुझाई। साथ ही दुकान में रखा एक भरा और चार खाली गैस सिलेंडर बाहर निकाले। गनीमत यह रही कि सिलेंडर फटा नहीं वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

जेके कॉलोनी निवासी शांति देवी की गली

लालबंगला में सुनीता शुक्ला के मकान में परचून की दुकान है। मंगलवार देर रात दुकान से धुंआ निकलता देख लोगों ने उन्हें सूचना दी। वह मौके पर पहुंचीं और दुकान का शटर खोलकर आग बुझाने के साथ ही पुलिस व फायर बिग्रेड को सूचना दी। इस दौरान दुकान के सामने खड़ी एक बाइक में आग लग 👚 की वजह शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रही है।



लालबंगला में परचून की दुकान में लगी आग को बुझाते दमकल कर्मी।

की सांस ली। शांति फोटो : एसएनबी

गई। मौके पर पहुंची

दमकल की दो गाड़ियों

ने आग को बुझाने का

काम शुरू किया। गली

संकरी होने से गाड़ी

अंदर न जाने के

कर्मियों को कड़ी

मेहनत करनी पडी।

बाद में दमकल

कर्मियों ने दुकान में

रखे चार खाली व एक

भरा गैस सिलेंडर

बाहर निकाला तब

जाकर लोगों ने राहत

दमकल

देवी ने बताया कि बेटे की शादी के लिये सिलेंडर और 50 हजार रुपये दुकान में रखे थे। उन्होंने कुछ लोगों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। जाजमऊ फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिक राहुल नंदन ने बताया कि प्रथम दृष्टता आग लगने

क्लाइड हाउस में खुल रही मॉडल शॉप का किया विरोध

फोटो : एसएनबी

कानपुर (एसएनबी)। मॉल रोड स्थित क्लाइड हाउस में खुल रही मॉडल शॉप का विरोध जारी है। व्यापारियों ने कहा कि अगर कैंट अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करते हुए 24 घंटे बाद भी शराब

संचालन को डिफेंस स्टेट ऑफीसर लखनऊ ने और छावनी परिषद के सीईओ ने कैंट की नियमावली के तहत पूर्ण रूप से अवैध करार दिया है। साथ ही डिफेंस स्टेट ऑफीसर लखनऊ ने लिखित रूप से लेटर जारी करते हुए जिला प्रशासन को शराब ठेके का संचालन

संचेडी में खेतों में आग के बाद जली फसल देखते किसान।

शराब ठेका संचालन करने के लिए आदेशित किया है, जिसको तत्काल प्रभाव से रोकते हुए डिफेंस स्टेट ऑफिसर के आदेशों का अनुपालन करते हुए सीईओ छावनी परिषद ने जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर को तत्काल 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने के लिए कहा है। बुधवार को स्थानीय व्यापारियों ने एक घंटे का विरोध प्रदर्शन भी किया। व्यापारियों ने कहा है कि गुरुवार को ईद होने के कारण कोई

> प्रदर्शन नहीं होगा। अगर 24 घंटे बाद भी शराब ठेका संचालन बंद न हुआ तो पुनः प्रदर्शन किया जायेगा। इस संबंध में क्लाइड हाउस के निवासी, दुकानदार, शैक्षिक संस्थान के लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष, विधायकों, भाजपा सांसद प्रत्याशी रमेश अवस्थी, छावनी अधिकारी

व चीफ सेक्रेट्री से सम्पर्क कर अवगत कराया। इस मौके पर व्यापार मंडल के मंडल अध्यक्ष विजय पंडित, भाजपा कानपर बुंदेलखंड क्षेत्र व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक विनोद गुप्ता, युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विक्रम पंडित, विशाल अग्रवाल, विवेक शुक्ला, ओपी पांडे, नितिन राजपूत, रवि रस्तोगी, यशपाल आर्या, परेश चतुर्वेदी, अखिलेश चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे।

सेना का अधिकारी बन बुक कराई गाडी, हजारों की ठगी

कानपुर (एसएनबी)। साइबर ठगों ने सेना का अधिकारी बन एक ट्रैवल्स एजेंसी की गाड़ी बुक करने के नाम पर 99 हजार की ठगी कर ली। ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित ने संबंधित थाने में तहरीर दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू

मेहरबान सिंह का पुरवा निवासी रंजीत यादव ने बताया कि उनकी राजेश टूर एण्ड ट्रैवल्स के नाम से एजेंसी है। उन्होंने बताया कि विगत माह उनके मोबाइल पर एक अंजान नम्बर से फोन आया। फोन पर बोलने वाले ने खुद को सेना का अधिकारी बताया और दो गांड़िया आगरा के लिये बुक करने की बात कही। दो गाड़ियां 37 हजार रुपये में तय हुईं। रंजीत ने संबंधित युवक के बताये पते पर दोनों गाड़ियां कैंट भेज दीं। इसके बाद फिर उस युवक का फोन आया और उसने बताया कि अभी जवान आ रहे हैं कुछ सामान और जवान ही जायेंगे। इसके बाद फोन पर बात करने वाले ने उससे कहा कि मैं एक स्कैनर भेज रहा हूं तुम अपने मोबाइल पर स्कैनर को स्कैन कर लेना क्योंकि यह सेना का है इसलिये पैसे लेने के लिये तुम्हें इसे स्कैन करना पडेगा। रंजीत उसके झांसे में आ गये और जैसे ही उन्होंने स्कैनर को स्कैन किया तीन बार में उसके खाते से 99 हजार रुपये निकल गये। बैंक से मैसेज आने पर उन्हें ठगी की जानकारी हुई। उन्होंने जब संबंधित नम्बर पर फोन मिलाया तो वह बंद मिला। इस पर पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। बुधवार को साइबर सेल ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा

व्यापारियों ने 24

घंटे में कार्रवाई न

की दी चेतावनी

होने पर पुनः प्रदर्शन

ठेका संचालन बंद न हुआ तो पनः प्रदर्शन किया जायेगा।

व्यापारियों ने बताया कि माल रोड स्थित 128 क्लाइड हाउस में अनैतिक रूप से संचालित की जा रही मॉडल शॉप शराब ठेके के

करने को नियम विरुद्ध बताते हुए जल्द से जल्द ठेके

(अभिषेक कुमार वर्मा)

मध्यस्थ/सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबन्धक

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT IN TERMS OF SEBI CIRCULAR BEARING NO. SEBI/HO/CFD/POD-1/P/CIR/2024/009 DATED FEBRUARY 06, 2024 AND RESUBMISSION OF THE DRAFT LETTER OF OFFER. TIS FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT APROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

JAYKAY ENTERPRISES LIMITED Corporate Identity Number: L55101UP1961PLC001187

Jaykay Enterprises Limited (our "Company" or the "Issuer") was originally incorporated as "J.K. Investment Trust Limited" on May 17, 1943, as a public compai

nder the provisions of the Indian Companies Act, VII of 1913 with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Joint Stock Companies, United Talion consequent to the change of name was issued by the Registrar of Company was changed to "J.K. Synthetics Limited", and a fresh certificate or ration consequent to the change of name was issued by the Registrar of Companies, Ultar Pradesh, Kanpur on May 9, 1961, under the provisions of the nies Act, 1966. Further, the name of our Company was changed to "Jaykay Enterprises Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent to the of name issued by the Registrar of Companies, Ultar Pradesh, and Ultarakhand on October 15, 2010.

Registered Office: Kamla Tower, Kanpur - 208 001, Uttar Pradesh, India ontact person: Yogesh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer Telephone: +91512 237 1478 | E-mail id: cs@jaykayenterprises.com | Website user justices progress com |

को बंद करने का आदेश दिया है। कैंट बोर्ड सीईओ ने लिखित आदेश जारी करते हुए एक पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि ठेका संचालक द्वारा दिए गए लेटर को लखनऊ डिफेंस ऑफिसर ने खारिज कर दिया है। लखनऊ डिफेंस स्टेट ऑफीसर ने कहा है कि यह ठेका पूर्ण रूप से अवैधानिक है। जिला प्रशासन ने नियम विरुद्ध तरीके से

चोरों ने एटीएम तोड़ किया चोरी का प्रयास उ०प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखानऊ

कानपुर (एसएनबी)। किदवई नगर थानाक्षेत्र में रविवार देररात एक एटीएम में घुसे चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़कर चोरी का प्रयास किया। चोरी में सफल न हो पाने पर चोर एटीएम में लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़कर भाग निकले। सुबह बैंक पहुंचे शाखा प्रबंधक ने संबंधित थाने में चोरों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने शाखा प्रबंधक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर

इंडियन बैंक की शाखा साकेत नगर के शाखा प्रबंधक राजेश शर्मा ने पुलिस को बताया कि रविवार देर रात बैंक के बगल में लगे एटीएम में घुसे चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़कर नगदी निकालने का प्रयास किया, लेकिन तभी उधर से गुजरी पुलिस की जीप को देख वह भाग निकले। इस दौरान चोर वहां लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ गये। सुबह बैंक पहुंचे कर्मचारियों ने एटीएम मशीन ट्टी देख उन्हें सूचना दी। जानकारी मिलते ही वह बैंक पहुंचे और एटीएम मशीन चेक कराई तो पता चला कि चोर नगदी नहीं निकाल सके। पुलिस ने शाखा प्रबंधक की तहरीर पर चोरों के खिलाफ

कानपुर (एसएनबी)। बिठूर थाना क्षेत्र के एक गांव देर तक न लौटने पर परिजन उसे तलाशते पहुंचे तो में मंगलवार देर शाम नित्यक्रिया को गयी किशोरी से गांव के दो युवकों ने गैंगरेप किया। वह उसे खेत में खींच ले गये और मुंह में कपड़ा ठूंसकर किशोरी के कल्लू ने पीड़िता के भाई पर डंडे से जोरदार प्रहार कर साथ दुष्कर्म किया। उसे तलाशते हुए परिजन खेत में दिया, जिससे आरोपी पकड़ से छूट गया और दोनों

पहुंचे। पीड़िता के भाई ने एक

की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपियों के परिजनों

बिटुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान की 15 वर्षीय बेटी मंगलवार देर शाम को नित्यक्रिया के लिए खेत में गयी थी, तभी गांव के अखिलेश प्रजापित और सत्यम उर्फ कल्लू अवस्थी ने उसे दबोच लिया और खेत में घसीट ले गये। वहां दोनों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और रेप किया। मुंह में कपड़ा ठुंसा होने से किशोरी बेहोश हो गयी। किशोरी के काफी

आरोपी उन्हें देखकर भागने लगे। पीड़िता के भाई ने अखिलेश को पकड़ लिया। इस पर उसके साथी

> परिजनों ने किशोरी की हालत देखी तो घबरा गये। उसे किसी तरह होश में लाये तो उसने आपबीती सुनाई। सूचना देने पर बिठूर पुलिस गांव पहंची और किशोरी को अस्पताल भेजा।

पुलिस ने पीड़िता के भाई की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, मारपीट, धमकी देने, बंधक बनाने और लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5जी व 6 में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के घर दिबश दी तो वह नहीं मिले। इस पर पुलिस ने आरोपियों के परिजनों को हिरासत में ले लिया। घटना की जानकारी पाकर एसीपी कल्याणपुर गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।

कपड़ा ठूं सकर किया दुष्कर्म

<mark>परिजन तलाशते हुए</mark> पहुंचे तो

आरोपी भाग निकले

पर दूसरे आरोपी युवक पर डंडे से वार कर साथी को छुड़ा लिया और दोनों भाग निकले। किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिजनों

को हिरासत में लिया है।

पेड़ा में स्टार्च व लड्डू में मिला

कानपुर (एसएनबी)। फुड सेफ्टी ऑन व्हील्स द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों के नुमने लेकर मौके पर जांच की गयी। एफएसडब्ल्यू के साथ आये आनंद मिश्र व खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय

कुमार यादव द्वारा नमुनों की जांच की सेफ्टी ऑन व्हील्स गयी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष कुमार सिंह भी मौजुद रहे। द्वारा मौके पर की जांच टीम ने चुंगी चौराहा बिठूर स्थित

गेदानंद लस्सी भंडार से दहीं, चीनी, लाल चटनी सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नम्ने लेकर मौके पर जांच की। इसमें लाल चटनी में रंग की उपस्थिति पायी गयी। इस पर कारोबारकर्ता को सचेत किया गया। टीम ने चुंगी चौराहा बिठुर स्थित पाल मिष्ठान भंडार से पेड़ा सहित अन्य नमूने लेकर मौके पर जांच की। इसमें पेड़ा में स्टार्च की मौजूदगी पायी गयी। यहीं के सम्राट छोटे भट्रे से बूंदी का लड्डू सहित अन्य पदार्थों के नमूनों की जांच में बूंदी लड्डू में रंगी की उपस्थिति पायी गयी। यहीं के मुन्ना मट्ठे वाला से मट्ठा, नमका का नमूना लेकर मौके पर जांच में नमक में वाह्य तत्व की उपस्थिति पायी गयी। बकरमंडी स्थित अल जायका मिष्ठान भंडार से केसर, चेरी आदि के नमुनों की मौके पर जांच में केसर में रंग की उपस्थिति पायी गयी। शेष 37 नम्ने मानक के अनुरूप पाये गये। वहीं, सहायक आयुक्त खाद्य विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मिलावटखोरी रोकने के लिए

अभियान चलाया जा रहा है। इसमें गाड़ी बाजारों में जाती है और नमुनों की मौके पर जांच कर कारोबारकर्ताओं को सचेत किया जा रहा है।

खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण के लिए किया आवेदन: मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में नगर निगम जोन 3 के खाद्य कारोबारकर्ताओं के खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के लिए कर्रही रोड स्थित भारत गैस एजेंसी के पास कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प में चार खाद्य कारोबारकर्ताओं ने अपने पंजीकरण को खाद्य लाइसेंस में कनवर्जन कराने के लिए, एक नया खाद्य लाइसेंस व 85 खाद्य कारोबारकर्ताओं ने पंजीकरण के आवेदन किया। 12 अप्रैल को टीम द्वारा बिल्हौर तहसील क्षेत्र में कैम्प का आयोजन किया जाएगा।

वीडियो वायरल की धमकी देकर युवती से किया गैगरेप

कानपुर । नवाबगंज थानाक्षेत्र में अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर एक युवक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर युवती के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने संबंधित थाने में न्याय की गृहार लगाई है। नवाबगंज थानाक्षेत्र निवासी एक युवती ने बताया कि 2018 में फेसबुक पर उसकी दोस्ती वीरेन्द्र नाम के युवक से हुई थी। धीरेश्वीरे दोनों में प्यार हो गया। एक दिन उसके माता पिता बाहर गये थे. तभी वीरेन्द्र घर आया और उसे नशीला कोल्डडिंक पिला दिया। कोल्डड्रिंक पीने के बाद वह बेहोश हो गयी तो वीरेन्द्र ने मोबाइल से उसका अश्लील फोटो व वीडियो बना लिया और फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। विगत दिनों उसके माता-पिता रिश्तेदार के घर गये थे, तभी वीरेन्द्र नशे में धृत होंकर अपने भाई योगेन्द्र व नागेन्द्र के साथ उसके घर आया और फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीडिता का कहना है कि अब वह वीरेन्द्र से परेशान हो गयी है। अगर उसे थाने में न्याय न मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी।

घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास

कानपुर। महिला ने पड़ोसी पर नशे की हालत में घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर मारपीट की। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़िता ने प्रदेश सरकार में गृह विभाग के प्रमुख सचिव से शिकायत की। आदेश पर चकेरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। चकेरी निवासी महिला के अनुसार उनका पड़ोसी गोविन्दा अपराधी किस्म का है। पिछले कई समय से वह उन्हें परेशान करने के साथ ही संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। तंग आकर पीड़िता ने आरोपी के परिजनों से मामले की शिकायत की, जिस पर वह खुन्नस रखने लगा। 24 अक्टूबर 2023 को वह घर पर अकेली थी, तभी आरोपी नशे की हालत में घर में घुस आया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने अपने जीजा भूपेंद्र व कुंदन के साथ मिलकर उन्हें पीटा। शोर मचाने पर आरोपी धमकाते हुये भाग निकले। मामले की शिकायत चकेरी थाने व पुलिस के उच्च अधिकारियों से की मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पर पीडिता ने प्रदेश सरकार में गृह विभाग के प्रमुख सचिव से शिकायत की। थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही हैं।

खरीदारी करने निकली किशोरी लापता, अपहरण का आरोप

कानपुर । बाबूपुरवा थानाक्षेत्र में दो दिन पूर्व घर से खरीदारी करने निकली एक किशोरी के लापता हो जाने से अफरान्तफरी मची हुई है। पीड़ित परिजनों ने दो सगे भाइयों पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुये संबंधित थाने में तहरीर दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बेगमपुरवा निवासी एक युवक ने थाने में तहरीर देते हुये बताया कि पिछले कुछ माह से नौबस्ता लवकुश विहार में रहने वाला साहिल उसकी (16) वर्षीय पुत्री को परेशान कर रहा था। बेटी के बताने पर उन्होंने साहिल को समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन साहिल व उसके भाई सरताज ने उनके साथ मारपीट की और बेटी को उठा ले जाने की धमकी दी थी। दो दिन पूर्व बेटी खरीदारी करने किदवई नगर स्थित 40 दुकान गई थी, लेकिन देर शाम तक वह घर न लौटी। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कुछ पता न चला। बेटी को खोजते हुये वह साहिल के घर पहुंचे तो साहिल के भाई सरताज ने उनके साथ मारपीट की और कहाँ कि तुम्हारी बेटी साहिल के पास है जो करना हो कर लो। इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित थाने में तहरीर दी। पुलिस ने पीडित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी हैं।

शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ की बैठक

कानपुर । भारतीय जनता पार्टी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ की संगोष्ठी का आयोजन राधिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, न्यू आजाद नगर सतबरी रोड में किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. दिवाकर मिश्र, भाजपा दक्षिण जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह, पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया व प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बीएल पांडे ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

स्लीपर वन्दे भारत का कानपुर सेट्रल पर भी होगा ठहराव

कानपुर (एसएनबी) । सब कुछ दुरुस्त रहा तो पहली स्लीपर वन्दे भारत सुपरफास्ट ट्रेन गोरखपुर से आगरा के मध्य रफ्तार भरेगी। इस ट्रेन का ठहराव कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भी होगा। लखनऊ मण्डल के इस प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड ने सहमति जताई है। ट्रेन की समय-सारिणी को लेकर मंथन चल रहा है। टाइमटेबल कमेटी की बैठक में इस पर जल्द ही मुहर लगेगी। गोरक्षनगरी से ताजनगरी के मध्य स्लीपर वन्दे भारत एक्सप्रेस चलाने की पूरी तैयारी है। यह ट्रेन ऐशबाग लखनऊन्कानपुर सेंट्रल होते हुए रफ्तार भरेगी। जयपुर में होंने वाली आईआरटीटीसी (इंडियन रेलवे टाइम टेबिल कमेटी) की बैठक में नॉर्थ इस्ट रेलवे के इस ट्रेन संबंधी रूट को लेकर रेलवे के उच्चाधिकारियों द्वारा मंथन किया जाएगा। अगर पूरी तरह से सहमित बनीं तो जलाई में जारी होने वाली रेलवे की समयन्सारिणी में इस टेन को भी शामिल कर लिया जाएगा। विभागीय सुत्रों के मुताबिक गोरखपुर से चलने वाली वन्दे भारत एक्सप्रेस का नम्बर 22583 होगा, जबिक आगरा की से चलने वाली का नम्बर 22584 होगा। ट्रेन आगरा के आगरा फोर्ट स्टेशन से चलेगी। मार्ग के इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग (लखनऊ) व बाराबंकी में ठहराव प्रस्तावित है। यह ट्रेन दस घंटे में अपना सफर तय करेगी। ट्रेन के कोचों की बात की जाए तो अन्य ट्रेनों की तुलना में इस ट्रेन के कोचों की ऊंचाई कुछ अधिक है। ऊपर की बर्थ पर जाने के लिए सीढ़ी को भी नई डिजाइन दी गई है। सत्रों के मताबिक परिचालन को लेकर हर स्तर पर सहमति बनने के बाद लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई माह में इस स्लीपर वन्दे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिल सकता है।

केसीए अण्डर-19) ट्रायल कल से

कानपुर। यूपीसीए के ट्रायल के लिए केसीए के अण्डर 19 ट्रायल 12 अप्रैल 2024 से सप्रू मैदान, शुक्लागंज सें शुरू होंगे। यह जानकारी कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव द्वारा दी गई। केसीए सचिव कौशल किशोर सिंह ने अवगत कराया कि यूपीसीए के ट्रायल के लिए कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन में पंजीकृत अण्डरन9 खिलाड़ियों के ट्रायल 12 अप्रैल से सप्रू मैदान में प्रारम्भ होंगे। ट्रायल के पहले दिन शुक्रवार को अंग्रेजी वर्णमाला के 'ए' से 'पी' तक से शुरू होने वाले नाम के खिलाड़ियों के ट्रायल सुबह 7.30 बजे से शुरू होंगे। जबिक 13 अप्रैल 2024 को 'आर से जेड' तक से शुरू होने वाले नाम के खिलाड़ियों व कानपुर देहात और कन्नौज के खिलाड़ियों के ट्रायल होंगे। ट्रायल में उतरे 212 खिलाड़ी: कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा केडीएमए स्कूल बर्रा 8 में आयोजित अण्डर १६ ट्रायल में २१२ खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। चयनकर्ता राकेश तिवारी व विकास यादव ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को बारीकी से परखा। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने को पर्याप्त समय दिया गया। केसीए सचिव ने अवगत कराया कि ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों की टीमें बनाकर इसी माह के अंतिम सप्ताह में ट्रायल मैच कराए जाएंगे। इन ट्रायल मैचों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को कानपुर जनपद की टीम में शामिल किया जाएगा।

Website: www.jaykayenterprises.com Corporate Identity Number: L55101UP1961PLC001187 PROMOTER OF OUR COMPANY: MR. ABHISHEK SINGHANIA ISSUE OF UP TO 5.84.57.688 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 25/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 24/- PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGG TO ₹ 14,614.42 LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARE FOR EVERY 1 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON [♠] (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 153 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER.

This public announcement is being made in continuation to the Public Announcement dated January 26 2024 and in compliance with the sub-clause 2.3 of Annexure Act the SEBI Circular bearing no. SEBI/HO/CFDIPOD-1/IP/CIR/2024/009 dated February 06, 2024 "SEBI Circular") and the provisions of regulation 72(2) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirement) Regulations 2018, as amended ("SEBI Circular") and the provisions of regulation 72(2) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirement) Regulations 2018, as amended ("SEBI Circular") and the provisions of regulations 71(2) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirement) Regulations 2018, as amended ("SEBI Circular") and the provisions of regulations 71(2) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirement) Regulations 2018, as amended ("SEBI Circular") and the provisions of regulations 2018 of Securities 2018 of Securities

Pursuant to SEBI Circular read with Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with SEBI and BSE is open for public comments, if any. The Pursuant to SEBI Circular read with Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with SEBI and BSE is open for public comments, if any. The DLOF is hosted on the website of our company at https://www.psbi.gov.in/, website of the Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are listed i.e., BSE at https://www.bsbi.gov.in/, website of the Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are listed i.e., BSE at https://www.bsbi.gov.in/, website of the Stock Exchange State of the Lead Manager i.e., Corporate Professionals Capital Private Limited at https://www.bsbi.gov.in/, All members of the public are hereby invited to provide their comments on the DLOF to SEBI, and SES with respect to the disclosures made in the DLOF. The public is requested to send a copy of the omments to SEBI, BSE and to our company or to the Lead Manager to the issue at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our company or by the Lead Manager on or before the 21st (Twenty First) day by 5 p. m., from the aforementioned date of filing the DLOF with SEBI.

GENERAL RISK: Investment in equity and equity-related securities involved a degree of risk and investors should not invest any funds in the issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the company and the issue including the risks involved. The rights equity shares have not been recommended or approved by SEBI nor does SEBI quarantee the accuracy or adequacy of the contents of DLOF. Specific attention of investors is

nave not been recommended or approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of DLOF. Specific atte invited to the section "Risk factors" on page 24 of the DLOF.

Note: Capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the DLOF. LEAD MANAGER TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE

Corporate **Professionals**

Corporate Professionals Capital Private Limited 28, South Extension, Part I, New Delhi, Delhi 110049 Tel: +91 011 4062 2230 / 4062 2200 Investor Grievance ID: mb@indiacp.com Website: www.corporateprofessionals.com Contact Person: Anjali Aggarwal SEBI Registration No.: INM000011435

House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 Tel: +91 11 4254 1627 Fax: +91 11 2355 2001 E-mail: jaykayerights@alankitassignments.com Investor Grievance ID: jaykayerights@alankitassignments.com Website: www.alankit.com Contact Person: Ms. Neeti SEBI Registration No.: INR000002532

For Jaykay Enterprises Limited n behalf of the board of directors

Mr. Yogesh Sharma

Date: April 10, 2024 Place: Kanpur

DISCLAIMER

Jaykay Enterprises Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals. Market condition othe The phase reminded is probable, subject to the phase of high spaces and has filled a Draft Letter of Offer with the SEBI and BSE. The Draft Letter of Offer shall be available the website of the issuer company at www.jaykayenterprises.com, on the website of SEBI at https://www.bseindia.com, and of SEBI at https://www.bseindia.com, and offer shall be available. the website of the Lead Manager at https://www.corporateprofessionals.com . Investors should note that investment in equity involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and reply on the draft letter including the section "Risk Factors"- on page 24 of the DLOF. This announcement has bee prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note the distribution of the DLOF and issue of equity shares on rights aces to provide in the late of Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in the restricted jurisdiction. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdictions, and/or to its citizens, The offering to which the DLOF relates is not and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements.